वर्ष 2011–12 का आवंटन

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः–जीओ–58/सम्पेक्षा/महा0मा0स0आ0/2011–12 दिनांक 11 अप्रैल–2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–679/38–4–11–13बजट/2010, दिनांक 7–4–2011 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा महामाया सर्वजन आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये अनुदान संख्या–13 में प्रथम छः मास हेतु रू0 500000000/– (रूपये पचास करोड़ मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक के सम्मुख कालम–3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :–

1– आवंटित की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

2– आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही किया जायेगा।

3– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु वित्त मैनुवल में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में न रखा जाय।

4 आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही समर्पित किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–"2515–अन्य ग्राम विकास–कार्यक्रम–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–महामाया सर्वजन आवास योजना–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

—2—

Shiv_Jay 2010-11

6– आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनगत के पृष्ठ–185 पर कर ली गयी है।

<u>संलग्नक: उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,
11/4/11

(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

<u>पत्रॉक:–जीओ–58/सम्पेक्षा/महा0मा0स0आ0/2011–12 उक्त तिथि।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3– सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
4– सम्बन्धित मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5– सम्बन्धित परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/ राज्य योजना आयोग–2 नियोजन अनुभाग–4
7– ग्राम्य विकास अनुभाग–3
8– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–4 को उनके पत्रांक–679/38–4–11–13–बजट/2010, दिनांक 7–4–2010 के क्रम में।

(प्रहेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

Annexure Of Letter No. G.O.58/Sampreksha/MSAY/2011-12 Dated 11-4-2011

Release of funds under Mahamaya Sarvjan Awas Yojana

SL	DISTRICT	Amount Being Released	Progressive Total
1	2	3	4
1	AGRA	0.00	0.00
2	ALIGARH	0.00	0.00
3	ALLAHABAD	176.00	176.00
4	AMBEDKARNAGAR	0.00	0.00
5	AZAMGARH	0.00	0.00
6	BADAUN	47.00	47.00
7	BAGPAT	0.00	0.00
8	BAHRAICH	0.00	0.00
9	BALLIA	140.00	140.00
10	BALRAMPUR	0.00	0.00
11	BANDA	230.00	230.00
12	BARABANKI	201.00	201.00
13	BAREILLY	0.00	0.00
14	BASTI	0.00	0.00
15	BIJNOR	0.00	0.00
16	BULANDSHAHAR	0.00	0.00
17	CHANDAULI	259.00	259.00
18	Chatrapati Shauji Maharaj Nagar	0.00	0.00
19	CHITRAKUT	0.00	0.00
20	DEORIA	0.00	0.00
21	ETAH	48.00	48.00
22	ETAWAH	85.00	85.00
23	FAIZABAD	183.00	183.00
24	FARRUKHABAD	12.00	12.00
25	FATEHPUR	29.00	29.00
26	FIROZABAD	0.00	0.00
27	G.B. NAGAR*	0.00	0.00
28	GHAZIABAD	0.00	0.00
29	GHAZIPUR	179.00	179.00
30	GONDA	74.00	74.00
31	GORAKHPUR	0.00	0.00
32	HAMIRPUR	130.00	130.00
33	HARDOI	0.00	0.00
34	HATHRAS	60.00	60.00
35	J.B.F. NAGAR	0.00	0.00
36	JALAUN	44.00	44.00
37	JAUNPUR	0.00	0.00
38	JHANSI	13.00	13.00
39	KANNAUJ	93.00	93.00
40	RAMABAI Nagar(KANPUR DEHAT)	146.00	146.00
41	KANPUR NAGAR	99.00	99.00
42	KANSHIRAM NAGAR	13.00	13.00
43	KAUSHAMBHI	213.00	213.00
44	KHERI	0.00	0.00
45	KUSHINAGAR	0.00	0.00

2

Annexure Of Letter No. G.O.58/Sampreksha/MSAY/2011-12 Dated 11-4-2011

Release of funds under Mahamaya Sarvjan Awas Yojana

SL	DISTRICT	Amount Being Released	Progressive Total
1	2	3	4
46	LALITPUR	0.00	0.00
47	LUCKNOW	144.00	144.00
48	MAHOBA	0.00	0.00
49	MAHRAJGANJ	0.00	0.00
50	MAINPURI*	67.00	67.00
51	MATHURA	149.00	149.00
52	MAU	0.00	0.00
53	MEERUT	0.00	0.00
54	MIRZAPUR	271.00	271.00
55	MORADABAD	0.00	0.00
56	MUZAFARNAGAR	0.00	0.00
57	ORRAIYA	0.00	0.00
58	PILIBHIT	0.00	0.00
59	PRATAPGARH	29.00	29.00
60	RAE BARELI	0.00	0.00
61	RAMPUR	0.00	0.00
62	S. R. NAGAR	0.00	0.00
63	S.K.NAGAR	82.00	82.00
64	SAHARANPUR	0.00	0.00
65	SHAHJAHANPUR	339.00	339.00
66	SHRAWASTI	204.00	204.00
67	SIDHARTHNAGAR	144.00	144.00
68	SITAPUR	302.00	302.00
69	SONBHADRA	348.00	348.00
70	SULTANPUR	0.00	0.00
71	UNNAO	447.00	447.00
72	VARANASI	0.00	0.00
	STATE TOTAL	**5000.00**	**5000.00**

(Rs.Fifty Crore Only)

(M.K. Agnihotri)
Additional Commissioner(Accounts)
Rural Development

जी०ओ०-58/मिस०
8/4/11

CAO
8/4

<u>संख्या–679/38–4–11–13 बजट/10</u>

प्रेषक,

रूद्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0,लखनऊ

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक– 07अप्रैल,, 2011

विषयः–महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत वर्ष–2011–12 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र0संख्या–01/सम्प्रेक्षर/महा0मा0सर्व0आ/2011–12,दिनांक–01अप्रैल,2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **महामाया सर्वजन आवास** के कार्यान्वय हेतु वित्तीय वर्ष–2011–2012के लिए अनुदान संख्या–13 में प्रथम छः माह हेतु रू0–50.00/–करोड़(रूपये पचास करोड़ मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरंण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

4– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु वित्त मैनुअल में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।

5– इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

–2–

6– तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखा शीर्षक– 2515 –अन्य ग्राम्य विकास–कार्यक्रम–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–महामाया सर्वजन अवास योजना– 27–सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि समय से धनराशि का उपयेग को सकें ।

2–यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011दिनांक– 21मार्च,2011 में दिये गये निर्देशो के अधीन जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–679(1)/38–4–11 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संवंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संवंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. संवंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
10. राज्य योजना आयोग अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4
11. ग्राम्य विकास अनुभाग–3
12. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

6– तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखा शीर्षक– 2515 –अन्य ग्राम्य विकास–कार्यक्रम–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–महामाया सर्वजन अवास योजना– 27–सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि समय से धनराशि का उपयेग को सकें ।

2–यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011दिनांक– 21मार्च,2011 में दिये गये निर्देशो के अधीन जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–679(1)/38–4–11 तद्‌दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संवंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संवंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. संवंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
10. राज्य योजना आयोग अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4
11. ग्राम्य विकास अनुभाग–3
12. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।